



कार्य का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का कार्य।

सिविल भूमि वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु ग्राम-मौणा, पटवारी वृत्त-सिमली तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली के अन्तर्गत ज.वि.रं. खसरा न. म., रकवा 1387, 1392, 1401, 1402, 1403, 1599 में 4.55 हे. म. हे. सिविल बंजर भूमि का वृक्षारोपण एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के आदेश 2882/XVIII(2)/II-18(12)/2010 दिनांक 11.11.2011 तथा संशोधित शा. सं. 397/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 09.08.2012 के क्रम में आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के आदेश संख्या 1363/26-08/2011-12 दिनांक 05.12.2012 के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति पर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया जायेगा।



राजस्व उप निरीक्षक
सिमली



तहसीलदार
कर्णप्रयाग


उप जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्र अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर


उप उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
(गोपेश्वर-मौली)


लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।


सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।